न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 71 / 2017

RCMS No. 2017/00315

प्रार्थीः–	**बनाम**	**अप्रार्थीगणः–**
1 प्रतापराम पुत्र नगाराम जाति मेघवाल निवासी माण्डल तहसील रानी		1. मृतक वगताराम पुत्र नगाजी के का0मु0 1.1 कालूराम 1.2 टिकमाराम पि0 वगताराम जातिगण मेघवाल निवासी माण्डल तहसील रानी 2. सरपंच ग्राम पंचायत माण्डल

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

श्री खूमाराम परिहार, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
श्री नवीन दवे, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांकः– 28/3/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, माण्डल द्वारा मिसल संख्या 39 / 2000–2001, संकल्प संख्या 1 दिनांक 29.07.2000 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 146 दिनांक 11.09.2000 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए व कानून के विपरित जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। जैर निगरानी पट्टे की भूमि के पूर्व दिशा में प्रार्थी का दरवाजा व स्वयं की निजी गली का उल्लेख किया है, वह आम रास्ते की भूमि है, जिसका उपयोग उपभोग वहां के निवासी करते है। उक्त भूमि पर मात्र अप्रार्थी संख्या 1 का सर्वाधिकार नहीं है तथा न ही अप्रार्थी संख्या 1 को किसी को उपयोग व उपभोग न करने देने का कोई अधिकार है। प्रश्नगत पट्टा जो सार्वजनिक आवागमन का रास्ते की भूमि पर जारी किया गया है, जो नियम 141 में शुमार नहीं होती है तथा न ही प्रार्थी उक्त भूमि को प्राप्त करने की अधिकारिता रखता है। ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का मौका निरीक्षण ही नहीं किया तथा कागजी खानापूर्ति करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पट्टा जारी कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। दिनांक 24.07.2000 को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पुश्तैनी कब्जासुदा मकान के पट्टा बनाने का निवेदन किया एवं उसी दिन पंचायत की बैठक दर्शाते हुए कार्यवाही सम्पादित की गई एवं दिनांक 25.07.2000 को पुनः बैठक ली जाकर मौका रिपोर्ट हेतु उसी दिन आदेश पारित किए तथा दिनांक 28.07.2000 को मौका रिपोर्ट प्राप्त कर एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी कर दिया, जो किसी स्थान

अति० जिला कलेक्टर, पाली

पर चस्पा किया गया, कब जारी किया गया, कहीं भी इन्द्राज नहीं है। कोरम की पूर्ति हुए बिना ही विधि विरूद्ध रूप से दिनांक अंकित करते हुए समस्त प्रक्रिया का दुरूपयोग किया गया। न तो मौका जांच की गई तथा न ही किसी प्रकार के आज्ञापक प्रावधानों की पालना की गई। सम्पूर्ण कार्यवाही विधि विरूद्ध रूप से सम्पादित की गई है। अतः जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावें तथा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने कब्जा सुदा भूमि का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत माण्डल के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा सचिव से नक्शा तैयार करवाया जाकर तीन वार्ड पंचो की कमेटी मनोनीत कर मौका निरीक्षण के आदेश पारित किए। मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर अस्थाई निर्णय लिया जाकर एक माह के आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया। नियत समयावधि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने पर दो गवाहों के बयान कलमबद्ध किए जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। प्रार्थी द्वारा जिस गली को रेखांकित करते हुए निगरानी याचिका प्रस्तुत की है, वह भूमि अप्रार्थी हक हिस्से में पट्टासुदा परिसर में आई हुई है, जिसे अप्रार्थी द्वारा अपनी सुविधा हेतु छोडते हुए निर्माण नहीं किया है। चूंकि अप्रार्थी के रहवासी मकान के आगे रास्ते की चौडाई कम थी, इसके कारण अप्रार्थी ने अपनी सुविधा हेतु भूमि को गली के रूप में छोडा गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं की है। ग्राम पंचायत द्वारा समस्त कार्यवाही प्रक्रिया अपनाते हुए सम्पादित की है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, माण्डल द्वारा मिसल संख्या 39/2000–2001, संकल्प संख्या 1 दिनांक 29.07.2000 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 146 दिनांक 11.09.2000 के विरूद्ध पेश की गई है। पंचायत की मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 वगताराम पुत्र नगाजी द्वारा अपने पुश्तेनी कब्जासुदा मकान का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत माण्डल के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें वांछित भूमि के पडौस दर्शित करते हुए नजरी नक्शा अंकित किया। उक्त प्रार्थना पत्र में 82 फीट लम्बाई एवं 6 फीट चौडाई की भूमि को निजी रास्ते के रूप में रखा जाना बताया। इस पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 24.07.2000 को मिसल कायम की गई। इसके पश्चात दिनांक 25.07.2000 को तीन वार्ड पंचो को मौका निरीक्षण हेतु नियुक्त किया गया। उक्त आदेश की पालना में तीन वार्ड पंचो द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहवासी मकान होने के कारण पट्टा जारी करने एवं 1 माह का आपत्ति इश्तिहार जारी कराने का निवेदन किया। इसके पश्चात दिनांक 28.07.2000 को एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश पारित किए गए। इसके पश्चात दिनांक 29.07.2000 को नियम 157 के तहत अप्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी करने के आदेश पारित किए गए। प्रकरण में जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वो विधि अनुसार नहीं है। यह स्थिति प्रक्रिया के दुरूपयोग की श्रेणी में परिलक्षित होती है। मात्र कागजी खानापूर्ति करते हुए प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए पट्टा जारी करने का आज्ञा पारित करना एवं उस आज्ञा की पालना

अति० जिला कलेक्टर, पाली

में पट्टा जारी करना विधि सम्मत नहीं है। प्रकरण में मिसल कायम होने के पांच (5) दिवसों में समस्त प्रक्रिया पूर्ण किया जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। इसके अतिरिक्त जिस आदेश की पालना में पट्टा जारी किया गया है, उस आदेश पर सरपंच के हस्ताक्षर ही नहीं है। जिसके कारण उक्त आदेश प्रारम्भतः संदेहास्पद है। ऐसे आदेश को कायम रखा जाना, विधि विरूद्ध कार्यवाही को बढावा देना होगा, जो न्यायोचित नहीं है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, माण्डल द्वारा मिसल संख्या 39/2000–2001, संकल्प संख्या 1 दिनांक 29.07.2000 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 146 दिनांक 11.09.2000 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर देकर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का सम्बन्धित अभिलेख लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 28/3/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली